[राज्य सभा में पुर:स्थापन के लिए]

2019 का विधेयक संख्यांक 27

[दि नेशनल इन्सटिट्यूट ऑफ डिजाइन (अमेंडमेंट) बिल, 2019 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) विधेयक, 2019

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 का संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केंद्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा राजपत्र में नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए विभिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

वृहत नाम का संशोधन ।

2014 का 18

2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है) के वृहत नाम में, "राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद नामक संस्था को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने" शब्दों के स्थान पर "कतिपय डिजाइन संस्थानों को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं घोषित करने" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 1 का संशोधन ।

3. मूल अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के हिंदी पाठ में संशोधन की आवश्यकता नहीं है ।

धारा 2 का प्रतिस्थापन ।

4. मूल अधिनियम की धारा 2 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

"2. चूंकि अनुसूची में उल्लिखित संस्थाओं के उद्देश्य ऐसे हैं जो उन्हें राष्ट्रीय महत्व की संस्थाएं बनाते हैं, अत: यह घोषणा की जाती है कि ऐसा प्रत्येक संस्थान राष्ट्रीय महत्व की संस्था है ।" ।

कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करना ।

धारा 3 का संशोधन ।

5. मूल अधिनियम की धारा 3 में,—

(i) खंड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(घ) किसी संस्थान के संबंध में "निदेशक" से धारा 18 के अधीन नियुक्त किया गया ऐसे संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है;';

(ii) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ङ) किसी संस्थान के संबंध में "निधि" से धारा 23 के अधीन यथा अनुरक्षित ऐसे संस्थान की निधि अभिप्रेत है;';

(iii) खंड (च) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(च) किसी संस्थान के संबंध में "शासी परिषद्" से ऐसे संस्थान की धारा 11 के अधीन यथा गठित शासी परिषद् अभिप्रेत है;';

(iv) खंड (छ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(छ) "संस्थान" से अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित संस्थाओं में से कोई संस्था अभिप्रेत है;';

(v) खंड (ज) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ज) "संस्थान परिसर" से संस्थान का ऐसा परिसर अभिप्रेत है जो ऐसे संस्थान द्वारा भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी भी स्थान पर स्थापित किया जाए;';

(vi) खंड (ट) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ट) किसी संस्थान के संबंध में "कुलसचिव" से ऐसे संस्थान का धारा 20 के अधीन यथानियुक्त कुलसचिव अभिप्रेत है;';

(vii) खंड (ट) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(टक) "अनुसूची" से इस अधिनियम से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;';

(viii) खंड (ठ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ठ) किसी संस्थान के संबंध में "सिनेट" से ऐसे संस्थान का सिनेट अभिप्रेत है;';

(ix) खंड (ड) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

1860 का 21

'(ड) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत और अनुसूची के स्तंभ 3 में उल्लिखित सोसाइटियों में से कोई सोसाइटी अभिप्रेत है ;';

(x) खंड (ढ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ढ) किसी संस्थान के संबंध में "परिनियमों और अध्यादेशों" से ऐसे संस्थान के इस अधिनियम के अधीन बनाए गए परिनियम और किए गए अध्यादेश अभिप्रेत हैं । ;';

धारा 4 का प्रतिस्थापन ।

6. मूल अधिनियम की धारा 4 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रखी जाएगी, अर्थात् :—

संस्थान का निगमीकरण ।

"4. (1) प्रत्येक संस्थान अनुसूची के स्तंभ (4) में यथाउल्लिखित उसी नाम का एक निगमित निकाय होगा ।

(2) प्रत्येक संस्थान का शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी जिसे इस अधनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए चल और अचल संपत्ति, दोनों को अर्जित करने, धारित करने और उनका व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(3) प्रत्येक संस्थान का गठन करने वाले निगमित निकाय में संस्थान की तत्समय विद्यमान शासी परिषद् का अध्यक्ष, निदेशक और अन्य सदस्य सम्मिलित होंगे ।

(4) कोई संस्थान भारत के भीतर या भारत से बाहर ऐसे स्थान पर, जो वह ठीक समझे संस्थान का परिसर स्थापित कर सकेगा :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व कर्नाटक राज्य के बैंगलूरु और गुजरात राज्य के गांधी नगर में स्थापित किए गए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के प्रत्येक परिसर को उसका संस्थान परिसर समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के संबंध में इस उपधारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।"।

धारा 5 का संशोधन ।

7. मूल अधिनियम की धारा 5 में,--

(i) खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(क) किसी विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में अनुसूची के स्तंभ (3) में उल्लिखित सोसाइटी के प्रति कोई निर्देश अनुसूची के स्तंभ (4) में उल्लिखित तत्स्थानी संस्थान के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा;"

(ii) खंड (ड) में, "कर्नाटक राज्य में बैंगलूरु और गुजरात राज्य के गांधी नगर में अवस्थित" शब्दों का लोप किया जाएगा ।

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :--

"**स्पष्टीकरण 1**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के संबंध में

इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख के बारे में, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।"।

धारा 6 का संशोधन ।

8. मूल अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 7 का संशोधन ।

9. मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 8 का संशोधन ।

10. मूल अधिनियम की धारा 8 में, "संस्थान निवेशों में सभी शिक्षण कार्य संस्थान" शब्दों के स्थान पर "संस्थान परिसरों में सभी शिक्षण कार्य प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 9 का संशोधन ।

11. मूल अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (1) में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर ""प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 10 का संशोधन ।

12. मूल अधिनियम की धारा 10 में, "संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 11 का संशोधन ।

13. मूल अधिनियम की धारा 11 में, "शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान की शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 15 का संशोधन ।

14. मूल अधिनियम की धारा 15 में, "संस्थान की सिनेट" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान की सिनेट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 16 का संशोधन ।

15. मूल अधिनियम की धारा 16 में "संस्थान की सिनेट" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान की सिनेट" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 18 का संशोधन ।

16. मूल अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 20 का संशोधन ।

17. मूल अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) में "संस्थान के कुलसचिव" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान के कुलसचिव" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 22 का संशोधन ।

18. मूल अधिनियम की धारा 22 में "संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 23 का संशोधन ।

19. मूल अधिनियम की धारा 23 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 24 का संशोधन ।

20. मूल अधिनियम की धारा 24 में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 25 का संशोधन ।

21. मूल अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 26 का संशोधन ।

22. मूल अधिनियम की धारा 26 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 27 का संशोधन ।

23. मूल अधिनियम की धारा 27 में,—

(i) आरंभिक भाग में, "संस्थान" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (क) में, " ज्येष्ठडिजाइनर" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां-जहां वे आते हैं, "प्रधान डिजाइनर" शब्द रखे जाएंगे ;

धारा 29 का संशोधन ।

24. मूल अधिनियम की धारा 29 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 30 का संशोधन ।

25. मूल अधिनियम की धारा 30 में "संस्थान के अध्यादेशों" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान के अध्यादेशों" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 32 का संशोधन ।

26. मूल अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (1) में "संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 33 का संशोधन ।

27. मूल अधिनियम की धारा 33 में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "किसी संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 34 का संशोधन ।

28. मूल अधिनियम की धारा 34 में "संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है, जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 35 का संशोधन ।

29. मूल अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 36 का संशोधन ।

30. मूल अधिनियम की धारा 36 में "संस्थान को" शब्दों के स्थान पर "किसी संस्थान को" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 37 का संशोधन ।

31. मूल अधिनियम की धारा 37 में "संस्थान" शब्द के स्थान पर "प्रत्येक संस्थान" शब्द रखे जाएंगे ।

धारा 39 का संशोधन ।

32. मूल अधिनियम की धारा 39 में,—

(i) खंड (क) में "संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद्" शब्द के स्थान पर, "किसी संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद्" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में "यथास्थिति, बेंगलूरु या गांधी नगर स्थित संस्थान" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(iii) निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 1**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के संबंध में इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ का कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख के बारे में, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।"।

धारा 40 का संशोधन ।

33. मूल अधिनियम की धारा 40 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 1**—राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अहमदाबाद के संबंध में इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति कोई निर्देश 16 सितंबर, 2014 के प्रतिनिर्देश समझा जाएगा ।

स्पष्टीकरण 2—इस धारा में इस अधिनियम के प्रारंभ के प्रति निर्देश का मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख के बारे में, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह उसके प्रति निर्देश है ।"।

नई अनुसूची का अंत:स्थापन ।

34. मूल अधिनियम की धारा 41 के पश्चात् निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी अर्थात् :—

"अनुसूची

(धारा 2,3 (छ), (टक), (ड), 4(1) और 5(क) देखें)

क्रम सं.	राज्य का नाम	सोसाइटी का नाम	इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थाओं के नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	गुजरात	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद,
2.	मध्यप्रदेश	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, भोपाल, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, मध्य प्रदेश
3.	असम	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, जोरहाट, असम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, असम
4.	हरियाणा	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, कुरुक्षेत्र, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, हरियाणा
5.	आंध्र प्रदेश	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी	राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, आंध्र प्रदेश"

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को डिजाइन से सम्बन्धित सभी विधाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष तथा प्रशिक्षण का संवर्धन करने के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था के रूप में घोषित करने के लिए अधिनियमित किया गया था ।

2. राष्ट्रीय डिजाइन नीति के अनुसरण में और डिजाइन शिक्षा को भारत के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के वैश्विक स्तर तक विकसित करने के लिए भारत सरकार ने आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम तथा हरियाणा राज्यों में चार नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटियों के रूप में स्थापित किए हैं । वर्तमान में, उक्त संस्थानों को उपाधि, डिप्लोमा और अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने के लिए प्राधिकार प्राप्त नहीं है । अतः, यह आवश्यकता महसूस की गई है कि उन्हें कानूनी प्रास्थिति प्रदान की जाए जिससे डिजाइन से सम्बन्धित सभी विषय क्षेत्रों या विधाओं में शिक्षा के एक समान स्तरों तथा क्वालिटी को बनाए रखे जाने को उसी प्रकार सुनिश्चित किया जा सके, जिस प्रकार वे राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के संबंध में किया जाता है । अतः, पूर्वोक्त संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने का और उन्हें उपाधि, डिप्लोमा तथा अन्य विद्या सम्बन्धी विशेष उपाधियां प्रदान करने की शक्ति का प्रस्ताव है ।

3. तद्नुसार, राष्ट्रीय डिजाइन अधिनियम, 2014 को, अन्य बातों के साथ, संशोधित करने का प्रस्ताव है जिससे निम्नलिखित का उपबंध किया जा सके :—

(क) उक्त अधिनियम की धारा 2 का संशोधन करना जिससे आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम तथा हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित किया जा सके ;

(ख) धारा 4 को प्रतिस्थापित करना जिससे पूर्वोक्त प्रत्येक संस्थान के निगमन के लिए उपबंध किया जा सके ;

(ग) उक्त अधिनियम की विभिन्न धाराओं में पारिणामिक संशोधन करना ;

(घ) उक्त अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करना जिससे ज्येष्ठ डिजाइनर के स्थान पर, प्रधान डिजाइनर के पद को आचार्य के समतुल्य पद के रूप में पदाभिहित किया जा सके ।

4. विधेयक, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

पीयूष गोयल

नई दिल्ली ;
24 जुलाई, 2019

खंडों पर टिप्पण

खंड 2—यह खंड अधिनियम के वृहत्त नाम का संशोधन करने के लिए है जिससे नई संस्थाओं, जैसे आन्ध्र प्रदेश, मध्यप्रदेश, असम और हरियाणा राज्यों में डिजाइन संस्थानों के प्रस्तावित निगमन को ध्यान में रखते हुए, "राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद, राष्ट्रीय महत्व की संस्था के नाम से ज्ञात संस्था" शब्दों को "डिजाइन की कतिपय संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व के संस्थाओं के रूप में" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 3—यह खंड अधिनियम की धारा 1 का संशोधन करने के लिए है जिससे "संस्थान" शब्द को "संस्थानों" शब्द से, जो पारिणामिक प्रकृति के हैं, प्रतिस्थापित करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 4—यह खंड अधिनियम की धारा 2 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे अनुसूची में वर्णित संस्थाओं को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित करने के लिए उपबंध किया जा सके ।

खंड 5—यह खंड अधिनियम की धारा 3 का संशोधन करने के लिए है जिससे निदेशक, निधि, शासी परिषद्, संस्थान, संस्थान परिसर, कुल सचिव, सिनेट, सोसाइटी, परिनियमों और अध्यादेशों की परिभाषाओं का संशोधन किया जा सके और अनुसूची की नई परिभाषा अन्तःस्थापित की जा सके ।

खंड 6—यह खंड अधिनियम की धारा 4 को एक नई धारा से प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे अनुसूची में वर्णित प्रत्येक संस्थान के निगमन के लिए उपबंध किया जा सके । खंड यह और उपबंध करता है कि प्रत्येक संस्थान भारत के अन्दर या भारत से बाहर संस्थान परिसरों की स्थापना कर सके ।

खंड 7—यह खंड अधिनियम की धारा 5 का संशोधन करने के लिए है जिससे यह उपबंध किया जा सके कि अनुसूची में वर्णित सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इसमें वर्णित तत्समान संस्थान के प्रति निर्देश हैं । खंड यह और उपबंध करता है कि राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के सम्बन्ध में अधिनियम 16 सितम्बर, 2014 से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा और मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

खंड 8—यह खंड अधिनियम की धारा 6 का संशोधन करने के लिए है जिससे "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 9—यह खंड अधिनियम की धारा 7 का संशोधन करने के लिए है जिससे "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 10—यह खंड अधिनियम की धारा 8 का संशोधन करने के लिए है जिससे "संस्थान में शिक्षण कार्य" शब्दों को "प्रत्येक संस्थान में शिक्षण कार्य" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 11—यह खंड अधिनियम की धारा 9 का संशोधन करने के लिए है जिससे "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 12—यह खंड अधिनियम की धारा 10 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे "संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे" शब्दों को "प्रत्येक संस्थान के

निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 13—यह खंड अधिनियम की धारा 11 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे "शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी" शब्दों को "प्रत्येक संस्थान की शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 14—यह खंड अधिनियम की धारा 15 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे "संस्थान की सिनेट" शब्दों को "प्रत्येक संस्थान की सिनेट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 15—यह खंड अधिनियम की धारा 16 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान की सीनेट" शब्दों को "किसी संस्थान की सीनेट" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 16—यह खंड अधिनियम की धारा 18 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 17—यह खंड अधिनियम की धारा 20 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान के कुल सचिव" शब्दों को "प्रत्येक संस्थान के कुल सचिव" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 18—यह खंड अधिनियम की धारा 22 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने" शब्दों को "किसी संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 19—यह खंड अधिनियम की धारा 23 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 20—यह खंड अधिनियम की धारा 24 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "किसी संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 21—यह खंड अधिनियम की धारा 25 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 22—यह खंड अधिनियम की धारा 26 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 23—यह खंड अधिनियम की धारा 27 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "किसी संस्थान" शब्दों से और "ज्येष्ठ डिजाइनर" शब्दों को "प्रधान डिजाइनर" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 24—यह खंड अधिनियम की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 25—यह खंड अधिनियम की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान के अध्यादेशों" शब्दों को "प्रत्येक संस्थान के अध्यादेशों" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 26—यह खंड अधिनियम की धारा 32 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच" शब्दों को "किसी संस्थान और उसके कर्मचारी के बीच" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 27—यह खंड अधिनियम की धारा 33 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "किसी संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 28—यह खंड अधिनियम की धारा 34 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान को जब कभी सरकारी विश्विद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अन्तर्गत ऐसा उद्योग भी है, जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाले किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं" शब्दों को "किसी संस्थान को जब कभी सरकारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से, जिसके अन्तर्गत ऐसा उद्योग भी है, जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाले किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 29—यह खंड अधिनियम की धारा 35 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 30—यह खंड अधिनियम की धारा 36 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान को" शब्दों को "किसी संस्थान को" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 31—यह खंड अधिनियम की धारा 37 का संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान" शब्द को "प्रत्येक संस्थान" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके ।

खंड 32—यह खंड अधिनियम की धारा 39 में संशोधन करने के लिए है जिससे कि "संस्थान की शासी परिषद" शब्दों को "किसी संस्थान की शासी परिषद" शब्दों से प्रतिस्थापित किया जा सके और "यथास्थिति, बंगलुरू या गांधी नगर स्थित" शब्दों का लोप किया जा सके । खंड, दो और स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के सम्बन्ध में यह अधिनियम 16 सितम्बर, 2014 से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा और मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

खंड 33—यह खंड अधिनियम की धारा 40 में दो स्पष्टीकरण अन्तःस्थापित करने के लिए है जिससे कि यह उपबंध किया जा सके कि उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए, राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के सम्बन्ध में, यह अधिनियम 16 सितम्बर, 2014 से प्रारंभ हुआ समझा जाएगा और मध्य प्रदेश, असम, हरियाणा और आंध्र प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के संबंध में उस तारीख, जिसको राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 2019 के उपबंध प्रवृत्त होते हैं, के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा ।

खंड 34—यह खंड अधिनियम की धारा 41, जिसमें राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों के नाम और विशिष्टियां अन्तर्विष्ट है, के पश्चात् एक अनुसूची अन्तःस्थापित करने के लिए है ।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक का खंड 4 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 2 का संशोधन करने के लिए है जिससे आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं के रूप में घोषित किया जा सके और खंड 6, धारा 4 को प्रतिस्थापित करने के लिए है जिससे प्रत्येक उक्त संस्थान के निगमन के लिए उपबंध किया जा सके ।

2. यह अनुमान लगाया गया है कि इन संस्थानों की स्थापना के लिए लगभग 434 करोड़ रुपए का व्यय होगा । तद्नुसार, बारहवीं योजना के दौरान 434 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी । 336.72 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय प्राक्कलित किया गया है और 97.28 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय प्राक्कलित किया गया है । यह व्यय उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के बजटीय उपबंध के माध्यम से पूरा किया जाना है । संस्थानों के पूर्ण रूप से परिचालित हो जाने और फीसों, परामर्श आय आदि के माध्यम से राजस्वों के सृजन आरम्भ करने के पश्चात्, आवर्ती व्यय के लिए सरकारी अनुदानों पर निर्भरता धीरे-धीरे कम हो जाएगी ।

3. विधेयक में भारत की संचित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई अन्य व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 24 राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 की धारा 29 का संशोधन करने के लिए है जिससे आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम और हरियाणा राज्यों में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थानों को परिनियम बनाने के लिए शक्ति प्रदान की जा सके और खंड 25 उक्त अधिनियम की धारा 30 का संशोधन करने के लिए है जिससे अध्यादेश बनाने के लिए इन संस्थानों को शक्ति प्रदान की जा सके ।

2. वे विषय, जिनके सम्बन्ध में परिनियम या अध्यादेश बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।

उपाबंध

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 (2014 का अधिनियम संख्यांक 18) से उद्धरण

* * * * * * *

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद नामक संस्था को डिजाइन से संबंधित सभी शाखाओं में शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण में क्वालिटी और उत्कर्ष की अभिवृद्धि के लिए राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने तथा उससे संबद्ध या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

* * * * * * *

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान अधिनियम, 2014 है ।

* * * * * * *

राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को एक राष्ट्रीय महत्व को संस्था घोषित करना ।

2. राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के नाम से ज्ञात संस्था के उद्देश्य चूंकि ऐसे हैं जो उसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था बनाते हैं, अतः राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया जाता है ।

परिभाषाएं ।

3. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

* * * * * * *

(घ) "निदेशक" से धारा 18 के अधीन नियुक्त किया गया संस्थान का निदेशक अभिप्रेत है ;

(ङ) "निधि" से धारा 23 के अधीन अनुरक्षित संस्थान की निधि अभिप्रेत है ;

(च) "शासी परिषद्" से धारा 11 के अधीन यथा गठित संस्थान, की शासी परिषद् अभिप्रेत है ;

(छ) "संस्थान" से धारा 4 के अधीन निगमित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद अभिप्रेत है ;

(ज) "संस्थान निवेश" से कर्नाटक राज्य के बेंगलूरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में अवस्थित संस्थान का निवेश अन्यथा ऐसा निवेश अभिप्रेत है, जो संस्थान द्वारा भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी स्थान में स्थापित किया जाए ;

* * * * * * *

(ट) "रजिस्ट्रार" से संस्थान का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है ;

(ठ) "सिनेट" से संस्थान की सिनेट अभिप्रेत है ;

1860 का 21

(ड) "सोसाइटी" से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन सोसाइटी के रूप में रजिस्ट्रीकृत राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद अभिप्रेत है ;

(ढ) "परिनियमों" और "अध्यादेशों" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए संस्थान के परिनियम और अध्यादेश अभिप्रेत हैं ।

अध्याय 2

संस्थान

संस्थान का निगमन ।

4. (1) राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद पूर्वोक्त नाम का एक निगमित निकाय होगा जिसका शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुद्रा होगी और जिसे संपत्ति का अर्जन, धारण और व्ययन करने तथा संविदा करने की शक्ति होगी और उस नाम से वह वाद लाएगा तथा उसके विरुद्ध वाद लाया जाएगा ।

(2) संस्थान का गठन करने वाले निगमित निकाय में संस्थान की तत्समय शासी परिषद् का एक अध्यक्ष, एक निदेशक और अन्य सदस्य होंगे ।

(3) संस्थान का मुख्यालय गुजरात राज्य के अहमदाबाद जिले में होगा ।

(4) संस्थान, किसी संस्थान निवेश की स्थापना भारत के भीतर या भारत के बाहर ऐसे अन्य स्थान पर कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परंतु इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान, अहमदाबाद के कर्नाटक राज्य के बेंगलुरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में स्थापित किए गए प्रत्येक निवेश को, संस्थान निवेश समझा जाएगा ।

संस्थान के निगमन का प्रभाव ।

5. इस अधिनियम के प्रारंभ से ही,–

(क) किसी विधि (इस अधिनियम से भिन्न) में या किसी संविदा या अन्य लिखत में सोसाइटी के प्रति किसी निर्देश के बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन निगमित संस्थान के प्रति निर्देश है ;

* * * * * * *

(ड) ऐसे प्रारंभ के ठीक पूर्व, सोसाइटी द्वारा नियोजित प्रत्येक व्यक्ति, संस्थान में, जिसके अंतर्गत कर्नाटक राज्य में बेंगलुरू और गुजरात राज्य के गांधीनगर में अवस्थित संस्थान निवेश भी है अपना पद या सेवा उसी अवधि तक, उसी पारिश्रमिक पर और उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर तथा पेंशन, छुट्टी, उपदान, भविष्य निधि और अन्य मामलो के बारे में उन्हीं अधिकारों और विशेषाधिकारों सहित धारण करेगा जो वह अधिनियम के अधिनियमित न किए जाने की और जब तक उसका नियोजन सामाप्त नहीं कर दिया जाता या जब तक ऐसी सेवा अवधि, पारिश्रमिक, निबंधनों और शर्तों को परिनियमों द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दिया जाता है, तब तक ऐसा करता रहेगा :

परंतु यदि इस प्रकार किया गया परिवर्तन ऐसे कर्मचारी को स्वीकार्य नहीं है तो उसका नियोजन संस्थान द्वारा कर्मचारी के साथ की गई संविदा के निबंधनों के अनुसार या यदि उसमें इस निमित्त कोई उपबंध नहीं किया गया है तो संस्थान द्वारा स्थायी कर्मचारी की दशा में उसे तीन मास के पारिश्रमिक के बराबर और अन्य कर्मचारी की दशा में, एक मास के पारिश्रमिक के बराबर प्रतिकर का संदाय करके

समाप्त किया जा सकेगा ।

संस्थान की शक्तियां ।

6. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात् :—

(क) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों और विद्या शाखाओं में शिक्षण, अनुसंधान और प्रशिक्षण की व्यवस्था करना और ऐसे क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में उसकी क्वालिटी और उत्कर्ष का पोषण और अभिवृद्धि करना ;

(ख) डिजाइन से संबंधित सभी क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्रियां, डॉक्ट्रेट और पोस्ट डॉक्ट्रेट उपाधियां और अनुसंधान से संबंधित विकास पाठयक्रम विकसित करना ;

(ग) परीक्षाएं आयोजित करना और डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों या विद्या शाखाओं में डिग्रियां, डिप्लोमा और अन्य शैक्षणिक उपाधियां या पदवियां प्रदान करना ;

(घ) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों में मानद डिग्रियां, पुरस्कार या अन्य उपाधियां प्रदत्त करना ;

(ङ) अध्येतावृत्तियां, छात्रवृत्तियां, पुरस्कार और पदक संस्थित करना और प्रदान करना ;

(च) फीस और अन्य प्रभार नियत करना, उनकी मांग करना और उन्हें प्राप्त करना ;

(छ) छात्रों के निवास के लिए छात्र-निवासों और छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण और प्रबंध करना ;

(ज) संस्थान के आवास का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करना और छात्रों के अनुशासन का विनियमन तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य कल्याण और सांस्कृतिक तथा सामूहिक जीवन के संवर्धन की व्यवस्था करना ;

(झ) निदेशक के मामले के सिवाए शैक्षणिक और अन्य पदों को संस्थित करना और उन पर नियुक्तियां करना ;

(ञ) परिनियम और अध्यादेश बनाना और उन्हें परिवर्तित, उपांतरित या विखंडित करना ;

(ट) विश्व के किसी भी भाग में ऐसे शैक्षणिक या अन्य संस्थानों से, जिनके उद्देश्य संस्थान के उद्देश्यों से पूर्णतः या भागतः समान हैं, संकाय सदस्यों और विद्वानों के आदान-प्रदान द्वारा और साधारणतया ऐसी रीति से सहयोग करना जो उनके समान उद्देश्यों के लिए सहायक हों ;

(ठ) संस्थान और उद्योग के बीच डिजाइनरों और अन्य तकनीकी कर्मचारिवृंद का आदान-प्रदान प्रोत्साहित करके और संस्था द्वारा प्रायोजित और वित्तपोषित अनुसंधान के साथ-साथ परामर्श परियोजनाओं को चलाकर शिक्षण जगत और उद्योग के बीच पारिस्परिक क्रिया के लिए केंद्रक के रूप में कार्य करना ;

(ड) माल के उत्पादन और सेवाओं के लिए अच्छे डिजाइनों के सृजन के लिए वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक अनुसंधान करने और ऐसे संकर्मों के लिए निधियों की व्यवस्था करने के लिए और ऐसे कार्यशाला या प्रयोगशाला या स्टूडियों में सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति या

व्यक्तियों को संदाय करने के लिए कार्यशालाओं या प्रयोगशालाओं या स्टूडियो को आधुनिक मशीनों और उपस्करों सहित स्थापित, सज्जित और अनुरक्षित करना ;

(ढ) साधारण या विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए ऐसे आविष्कार, सुधार या डिजाइन या मानकीकरण चिन्हों से संबंधित कोई पेटेंट या अनुज्ञप्ति अर्जित करना ;

(ण) डिजाइन से संबंधित क्षेत्रों और विद्या शाखाओं में परामर्श देना ;

(त) संस्थान के उद्देश्यों को अग्रसर करने के लिए ऐसी रीति में जो संस्थान उचित समझे, संस्थान से संबंधित या उसमें निहित किसी संपत्ति का निपटान करना ;

(थ) सरकार से दान, अनुदान, संदान या उपकृतियां प्राप्त करना और, यथास्थिति, वसीयतकर्ताओं, संदानकर्ताओं या अंतरकों से स्थावर या जंगम संपत्तियों की वसीयत, संदान और अंतरण प्राप्त करना ;

(द) ऐसे व्यक्तियों की, जो सेवा, प्रशिक्षण या अनुसंधान कार्यकलापों में लगे हैं, या जिनका लगना संभाव्य है को ऋण, छात्रवृत्ति या अन्य मौद्रिक सहायता प्रदान करके या अन्यथा शिक्षा को प्रोत्साहित करना और उसमें सुधार करना ;

(ध) औद्योगिक डिजाइन और सहबद्ध क्षेत्रों के विषय की बाबत या उससे संबद्ध पुस्तकों, पेपरों, नियतकालित पत्रिकाओं, प्रदर्शों, फिल्मों, स्लाइडों, गैजटों, परिपत्रों और अन्य साहित्यिक कार्यों को तैयार करना, प्रिन्ट करना, प्रकाशित करना, जारी करना, अर्जित करना और परिचालित करना ;

(न) डिजाइन और संबद्ध विषयों से संबंधित साहित्य और फिल्मों के संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संग्रहणों, स्लाइडों, फोटोचित्रों, आदिप्ररूपों और अन्य सूचना के लिए संग्रहालयों, पुस्तकालयों और संग्रहणों को स्थापित, विकसित और अनुरक्षित करना ;

(प) ऐसे क्षेत्रों में जो संस्थान ठीक समझे, सेवा, प्रशिक्षण और अनुसंधान की बाबत भारत में या भारत के बाहर अध्ययन करने के लिए डिजाइनरों, इंजीनियरों (यांत्रिक या विद्युत या सिविल), वास्तुविदों, शिल्पकारों, तकनीकीजनों या अन्वेषकों को नामनिर्देशित करना ;

(फ) संस्थान के उद्देश्यों के संबंध में कुशल व्यवसायिकों, तकनीकी सलाहकारों, परामर्शदाताओं, कर्मकारों या शिल्पकारों को रखना या नियोजित करना और ऐसे मानदेय, फीस या पारिश्रमिक का संदाय करना जो परिनियमों में विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ब) प्रक्रियाओं, साधनों और गैजटों के ब्यौरे और विनिर्देशनों को प्राप्त करने के लिए कारीगरों, तकनीकीजनों और अन्य आविष्कारी कौशल रखने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना ;

(भ) भवनों का संनिर्माण और उसमें परिवर्तन, विस्तार, सुधार, मरम्मत, वृद्धि या उपांतरण करना और वायु, जल, जलनिकास, फर्नीचर, फिटिंग्स और अन्य उपसाधनों की व्यवस्था करना और उसे सज्जित करना ;

(म) संस्था से संबंधित किसी जंगम या स्थावर संपत्तियों के बंधक, भार

की प्रतिभूति पर या आडमान या गिरवी के रूप में, प्रतिभूति पर या प्रतिभूति के बिना, या किसी अन्य रीति से धन उधार लेना या उसकी व्यवस्था करना ;

(य) ऐसी अन्य सभी बातें करना जो संस्थान के सभी या किन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक, आनुषंगिक या सहायक हों ।

* * * * * * *

संस्थान का सभी मूलवंशों, पंथों और वर्गों के लिए खुला होना ।

7. (1) संस्थान सभी स्त्रियों और पुरुषों के लिए चाहे वे किसी भी मूलवंश, पंथ, जाति या वर्ग के हों, खुला होगा और सदस्यों, छात्रों, शिक्षकों या कर्मकारों को प्रवेश देने या उनकी नियुक्ति करने में या किसी अन्य के संबंध में किसी भी प्रकार से धार्मिक विश्वास या वृत्ति के बारे में कोई मापदंड या शर्त अधिरोपित नहीं की जाएगी ।

* * * * * * *

संस्थान में शिक्षण कार्य ।

8. स्थान और स्थान निवेशों में सभी शिक्षण कार्य संस्थान द्वारा या उसके नाम से इस निमित्त बनाए गए परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार किए जाएंगे ।

कुलाध्यक्ष ।

9. (1) भारत का राष्ट्रपति संस्थान का कुलाध्यक्ष होगा ।

* * * * * * *

संस्थान के प्राधिकारी ।

10. संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे–

(क) शासी परिषद्;

(ख) सिनेट; और

(ग) ऐसे अन्य प्राधिकारी जो परिनियमों द्वारा संस्थान के प्राधिकारी घोषित किए जाएं ।

शासी परिषद् ।

11. शासी परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:–

(क) एक अध्यक्ष, जो कोई विख्यात शिक्षाविद्, वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद् या उद्योगपति होगा जो कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किया जाएगा ;

(ख) निदेशक, पदेन ;

(ग) भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में वित्तीय सलाहकार, पदेन ;

(घ) भारत सरकार के राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव, पदेन ;

(ङ) भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा से संबद्ध मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्देशित नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ;

(च) भारत सरकार सूचना प्रौद्योगिकी से संबद्ध के मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव से अनिम्न पंक्ति का एक प्रतिनिधि जिसे उस मंत्रालय या विभाग के सचिव द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, पदेन ;

(छ) उस राज्य से एक प्रतिनिधि, जिसमें संस्थान निवेश अवस्थित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ज) पांच वृत्तिक, वास्तुविद्, इंजीनियरी, ललित कला, जन संपर्क माध्यम और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में प्रत्येक से एक-एक जिन्हें केंद्रीय सरकार द्वारा

नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(झ) एक उत्कृष्ट डिजाइनर, जिसे से कुलाध्यक्ष द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ञ) एक प्रबंध विशेषज्ञ, जिसे अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ट) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों का एक प्रतिनिधि, जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ;

(ठ) तीन व्यक्ति, जिन्हें ऐसी कंपनियों, फर्मों या व्यष्टियों द्वारा, जिन्होंने संस्थान को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है या उसमें अंशदान किया है, सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से सिनेट द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा :

परंतु ऐसे नामनिर्देशन के लिए अर्हक होने के लिए वित्तीय सहायता या अंशदान और अन्य अपेक्षाओं की अवसीमा ऐसी होगी जो परिनियमों में उपबंधित की जाए ; और

(ड) प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष, पदेन ।

* * * * * * *

सिनेट ।

15. संस्थान की सिनेट निम्नलिखित व्यक्तियों से मिलकर बनेगी, अर्थात्:—

(क) निदेशक, पदेन, जो सिनेट का अध्यक्ष होगा ;

(ख) प्रत्येक संस्थान निवेश का संकायाध्यक्ष, पदेन ;

(ग) संस्थान और संस्थान निवेशों के ज्येष्ठ आचार्य ;

(घ) विज्ञान, इंजीनियरी और मानविकी क्षेत्रों में से प्रत्येक क्षेत्र के विख्यात शिक्षाविदों में से एक-एक व्यक्ति यथा तीन व्यक्ति, जो संस्थान के कर्मचारी न हों, अध्यक्ष द्वारा, निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और उनमें से कम से कम एक महिला होगी ;

(ङ) संस्थान का एक पूर्व छात्र, जिसे अध्यक्ष द्वारा निदेशक के परामर्श से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा ; और

(च) कर्मचारिवृंद के ऐसे अन्य सदस्य जो परिनियमों में अधिकथित किए जाएं ।

सिनेट के कृत्य ।

16. इस अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान की सिनेट के पास नियंत्रण और साधारण विनियमन होगा और वह संस्थान में, शिक्षण, शिक्षा और परीक्षा के मानकों के अनुसरण के लिए उत्तरदायी होगी और वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगी जो परिनियमों द्वारा उसको प्रदत्त या उस पर अधिरोपित किए जाएं ।

* * * * * * *

निदेशक ।

18. (1) संस्थान के निदेशक की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष की अवधि के लिए ऐसी रीति में और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो विहित की जाएं ।

* * * * * * *

कुलसचिव ।

20. (1) संस्थान के कुलसचिव की नियुक्ति ऐसे निबंधनों और शर्तों पर की जाएगी जो परिनियमों द्वारा अधिकथित की जाएं और वह संस्थान के अभिलेखों, सामान्य मुद्रा, निधियों और संस्थान की ऐसी अन्य संपत्ति का, जो शासी परिषद् उसके भारसाधन में सुपुर्द करे, अभिरक्षक होगा ।

* * * * * * *

केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान ।

22. इस अधिनियम के अधीन संस्थान को अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए, केन्द्रीय सरकार, संसद् द्वारा, विधि द्वारा इस निमित्त किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात्, संस्थान को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ऐसी धनराशियों का और ऐसी रीति में संदाय करेगी, जो वह उचित समझे ।

संस्थान की निधि ।

23. (1) संस्थान एक निधि बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित जमा किया जाएगा,–

(क) केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई सभी धनराशियां ;

(ख) संस्थान द्वारा प्राप्त सभी फीसें और अन्य प्रभार ;

(ग) संस्थान द्वारा अनुदानों, दानों, संदानों, उपकृतियों, वसीयतों या अंतरणों द्वारा प्राप्त सभी धनराशियां ; और

(घ) संस्थान द्वारा किसी अन्य रीति में या किसी अन्य स्रोत से प्राप्त सभी धनराशियां ।

* * * * * * *

विन्यास निधि की स्थापना ।

24. धारा 23 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार संस्थान को–

(क) एक विन्यास निधि और विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए किसी अन्य निधि की स्थापना का ; और

(ख) अपनी निधि से धन को विन्यास निधि में या किसी अन्य निधि में अंतरित करने का,

निदेश दे सकेगी ।

* * * * * * *

लेखे और संपरीक्षा ।

25. (1) संस्थान उचित लेखे और अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखाओं का वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत तुलनपत्र भी है, ऐसे साधारण निदेशों के अनुसार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करके जारी किए जाएं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जैसा विहित किया जाए ।

* * * * * * *

पेंशन और भविष्य निधि ।

26. (1) संस्थान अपने कर्मचारियों के, जिनके अंतर्गत निदेशक भी है, फायदे के लिए ऐसी पेंशन, बीमा, भविष्य निधियां, जो वह ठीक समझे, ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो परिनियमों में अधिकथित की जाएं, गठित करेगा ।

* * * * * * *

कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ।

27. संस्थान के कर्मचारिवृंद की सभी नियुक्तियां, निदेशक की नियुक्ति के सिवाय, परिनियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार निम्नलिखित द्वारा की जाएंगी–

(क) शासी परिषद्, यदि नियुक्ति शैक्षणिक कर्मचारिवृंद में ज्येष्ठ डिजाइनर या आचार्य के या उससे ऊपर के पद पर की जानी है या यदि नियुक्ति गैर शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के किसी काडर में की जानी है तो जिसका अधिकतम वेतनमान वही या उससे अधिक है जो कि ज्येष्ठ डिजाइनर या आचार्य का है; और

* * * * * * *

परिनियम किस प्रकार बनाए जाएंगे ।

29. (1) संस्थान के प्रथम परिनियमों की विरचना शासी परिषद् द्वारा कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से की जाएगी और उसकी एक प्रति यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी ।

* * * * * * *

अध्यादेश ।

30. इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अध्यादेशों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध किया जा सकेगा, अर्थात् :–

(क) संस्थान जिसके अंतर्गत संस्थान परिसर भी हैं, में छात्रों का प्रवेश ;

(ख) संस्थान के विभिन्न पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण ;

(ग) संस्थान की सभी उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों के लिए अधिकथित किए जाने वाले पाठयक्रम ;

(घ) वे शर्तें जिनके अधीन छात्रों को संस्थान की उपाधि, डिप्लोमा और प्रमाणपत्र पाठयक्रमों तथा परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा तथा उपाधियों, डिप्लोमाओं और प्रमाणपत्रों का प्रदान किया जाना ;

(ङ) अध्येतावृतियां, छात्रवृत्तियां, छात्र सहायतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार प्रदान करने की शर्तें ;

(च) परीक्षण निकाय, परीक्षकों और अनुसीमकों की नियुक्ति की शर्तें और रीति तथा कर्तव्य ;

(छ) परीक्षाओं का संचालन ;

(ज) संस्थान के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना ; और

(झ) कोई अन्य विषय जो इस अधिनियम या परिनियमों द्वारा अध्यादेशों द्वारा उपबंधित किया जाना है या उपबंधित किया जाए ।

* * * * * *

माध्यस्थम् अधिकरण ।

32. (1) संस्थान और उसके किसी कर्मचारी के बीच किसी संविदा को उद्भूत होने वाले किसी विवाद को संबंधित कर्मचारी के अनुरोध पर या संस्थान के आग्रह पर माध्यस्थम् अधिकरण को निर्दिष्ट किया जाएगा जो संस्थान द्वारा नियुक्त एक सदस्य और कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नियुक्त एक अधिनिर्णायक से मिलकर बनेगा ।

* * * * * * *

अध्याय 3

प्रकीर्ण

रिक्तियों, आदि द्वारा कार्यों और कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना ।

33. संस्थान या शासी परिषद् या सिनेट या इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन गठित किसी अन्य प्राधिकारी का कोई कार्य केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि–

(क) उसमें कोई रिक्ति है या उसके गठन में कोई त्रुटि है ; या

(ख) उसके सदस्य के रूप में कार्य कर रहे किसी व्यक्ति के चयन, नामनिर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि है ; या

(ग) उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसा अनियमितता है जो मामले के गुणागुण को प्रभावित नहीं डालती है

प्रत्यायोजित स्कीमें ।

34. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, संस्थान को जब कभी सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी अन्य अभिकरण से जिसके अंतर्गत ऐसा उद्योग भी है जो संस्थान द्वारा निष्पादित या विन्यासित की जाने वाली किसी अनुसंधान स्कीम या किसी परामर्शकारी कार्यक्रम या किसी शिक्षण कार्यक्रम या किसी पीठासीन आचार्य पद या किसी छात्रवृत्ति आदि को प्रायोजित करता है, निधियां प्राप्त होती हैं तो–

(क) प्राप्त रकम को संस्थान द्वारा संस्थान की निधि से पृथक रखा जाएगा और उसका उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा ; और

(ख) उसको निष्पादित करने के लिए अपेक्षित कर्मचारिवृंद की भर्ती प्रायोजिक संगठनों द्वारा नियत निबंधनों और शर्तों के अनुसार की जाएगी :

परंतु यह कि अनुपयोजित किसी धन को इस अधिनियम की धारा 24 के अधीन स्थापित विन्यास निधि में अंतरित कर दिया जाएगा ।

डिग्रियां आदि प्रदान करने की संस्थान की शक्ति ।

35. संस्थान को इस अधिनियम के अधीन डिग्रियां, डिप्लोमे, प्रमाणपत्र या विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियां प्रदान करने की शक्ति होगी, जो कि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन स्थापित या निगमित किसी विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा प्रदान की गई ऐसी तत्स्थानी डिग्रियों, डिप्लोमाओं, प्रमाणपत्रों और विद्या संबंधी अन्य विशेष उपाधियों के समतुल्य होंगी ।

निदेश देने की केंद्रीय सरकार की शक्ति ।

36. केन्द्रीय सरकार, संस्थान को इस अधिनियम के प्रभावी प्रशासन के लिए निदेश जारी कर सकेगी और संस्थान ऐसे निदेशों का पालन करेगा ।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन संस्थान का लोक प्राधिकारी होना ।

37. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध संस्थान को उसी रूप में लागू होंगे मानो वह सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 के खंड (ज) के अधीन परिभाषित लोक प्राधिकारी हो । 2005 का 22

* * * * * * *

संक्रमणकालीन उपबंध ।

39. इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी–

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व संस्थान के रूप में कार्य कर रही शासी परिषद् तब तक इस प्रकार कार्य करना जारी रखेगी जब तक कि इस अधिनियम के अधीन संस्थान के लिए नई शासी परिषद् का गठन नहीं कर दिया जाता है, किन्तु इस अधिनियम के अधीन नई शासी परिषद् के गठन पर ऐसे गठन के पूर्व पद धारण करने वाले शासी परिषद् के सदस्य पद पर नहीं रह जाएंगे;

* * * * * * *

(ग) जब तक इस अधिनियम के अधीन प्रथम परिनियम या अध्यादेश नहीं बनाए जाते तब तक इस अधिनियम के प्रारंभ के ठीक पूर्व प्रवृत्त सोसाइटी के नियम और विनियम, अनुदेश, मार्गदर्शक सिद्धांत और उपविधियां संस्थान को और यथास्थिति, बैंगलूरू या गांधीनगर स्थित संस्थान निवेशों को, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं, लागू बनी रहेंगी ।

* * * * * * *

MGIPMRND—2141RS(CRC)—26-7-2019.